

भारत सरकार
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज विशेष आर्थिक क्षेत्र,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
अंधेरी(पूर्व), मुंबई-400 096.

सं. सीपज- सेज/इएमएस/प्राधिकरण परिपत्र/2014-15/189

दिनांक:01जनवरी,2015

परिपत्र संख्या 04 /2015

विषय:- अप्राधिकृत रूप से मलबे फेंके जाने, कूड़े के अलग-अलग न किए जाने तथा सीपज-सेज में बिना गेट पास अथवा अवैध गेट पास के प्रवेश करने, वाहनों के बिना सेज वाहन पास के अथवा अवैध वाहन पास के प्रवेश करने तथा सार्वजनिक रूप से धूमपान करने पर अर्थ-दंड लगाए जाने के संबंध में।

Sub:-Penalty for unauthorized dumping of debris, non segregation of waste entry into SEEPZ-SEZ without gate pass or with invalid gate pass,entry of vehicle without SEZ vehicle pass or with invalid vehicle pass smoking in public. SEEPZ.

उपर्युक्त विषय पर पूर्व में जारी किए गए सभी परिपत्रों को अधिकांत करते हुए यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कॉमन एरिया में मालों/ सामग्रियों के भंडारण तथा मलबों के फेंके जाने की घटनाएं बार बार देखने में आ रही है तथा इससे कॉम्प्लेक्स के रख-रखाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गीले तथा सूखे अपविष्टों के अलग-अलग न किए जाने से बाँयो गैस प्लांट को सूखे अपविष्ट देने में कठिनाई हो रही है। ध्यान में आ रहे अन्य उल्लंघनों में लोगों का बिना गेट पास अथवा अवैध गेट पास के जोन में प्रवेश करना, बिना वाहन पास अथवा अवैध वाहन पास के वाहनों का जोन में प्रवेश करना तथा सार्वजनिक रूप से लोगों का धूमपान करना उल्लेखनीय है।

इन सभी मुद्दों पर दिनांक 26.11.2014 को आयोजित सीपज प्राधिकरण की बैठक में चर्चा की गई।

कॉमन एरिया की दुरुपयोग रोकने तथा उपर्युक्त उल्लंघनों /अपराधों के मामलों में अनुपालन की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीपज-सेज प्राधिकरण ने दिनांक 26.11.2014 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नानुसार अर्थ-दंड लगाए जाने का निर्णय लिया :-

1.मलबों का अप्राधिकृत रूप से फेंका जाना।

मलबों के अप्राधिकृत रूप से फेंके जाने के लिए 1000 रु. तथा इनको हटवाए जाने पर होने वाला वास्तविक खर्च।

कॉमन एरिया के अप्राधिकृत उपयोग के लिए 1000/ रु.प्रति-दिन।

2. अपविष्टों का अलग-अलग न किया जाना

गीले तथा सूखे अपविष्टों के अलग-अलग न किए जाने पर (अर्थ दंड लगाए जाने से पहले कम से कम एक बार चेतावनी सूचना)

पहले अपराध के लिए 1000 रु.

बाद के प्रत्येक अपराध के लिए 1000 रु. से 5, 000रु तक

3. सुरक्षा

सीपज़-सेज में बिना गेट पास के प्रवेश करने पर 1000 रु प्रति व्यक्ति

अवैध गेट-पास के पास प्रवेश करने पर 200 प्रति व्यक्ति

वाहन पास के बिना जोन में प्रवेश करने पर 5000 रु.

अवैध -वाहन पास के प्रवेश करने पर -1, 250/ रु.

4. सार्वजनिक रूप से धूम्रपान

सार्वजनिक रूप से धूम्रपान करने पर 500/ रु.

यह अध्यक्ष,सीपज़-सेज प्राधिकरण के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रति:

1. सीपज़-सेज के स्थित सभी यूनिट
2. सीपज़-सेज में स्थित सभी बैंक
3. चेयरमैन सीमा,सीपज़-सेज
4. प्रेसिडेंट जेम एंड ज्वैलरी एसोसिएशन बीएफसी बिल्डिंग,सीपज़-सेज
5. क्षेत्रीय निदेशक,इपीसीईएस 100%ईओयू एंड सेज बीएफसी बिल्डिंग,सीपज़-सेज
6. सीपज़++ ब्लॉक- I- I । प्रेमाइसेस सोसायटी, सीपज़-सेज
7. सीपज़++ ब्लॉक- I- I । प्रेमाइसेस सोसायटी, सीपज़-सेज
8. सीमाशुल्क अनुभाग
9. सुरक्षा अनुभाग
10. विकास आयुक्त का कार्यालय
11. सूचना पट्ट
- 12.वेबसाइट

भवदीया,



(एम.जे.कुलकर्णी)

सहायक विकास आयुक्त

सीपज़- सेज